

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (खैरथल-तिजारा)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
<p>12-2-25</p> <p>Note press</p> <p>पुस्तक</p> <p>दस्तावेज</p>	<p>अभियंता राठौर</p> <p>पत्तानजी पेशे की वकील वादी ने दवा नोट प्रेस में खारिज किया है। वादी भी स्वयं उपर। अतः दवा वादी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्तानजी केस नं. 104/25 के अन्तर्गत दायित्व लेख प्रेषित है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)</p>